

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 वर्ष

विनायक बनार्सी कूची

गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 1997 (श्रावण १९१९)

समय 10.30 बजे बिन

## 1. प्रबन्धन

पृष्ठम्: विवरित कूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

## 2. नियम 139 (1) के अधीन ध्यान आकर्षित

(1) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, भिलाई में प्रशासन की लापरवाही के बारण दुर्घटनाओं से हुई मौत के फलस्वरूप आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने की ओर गह भौती का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री विश्वोरीलाल वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले में साक्षरता मिशन के तहत शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने की ओर रक्षामंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के माम तिलकउआ में अविनक्षण होने की ओर उपमुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री छतराम देवीगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम छीतापाटी के किसानों की जमीन दूब में आने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (जलसंसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

## 3. शासकीय विधि विषयक बाबर्द

श्री रविन्द्र चौधे, राज्यमंत्री उच्च विद्या, राष्ट्रीय विधि संस्थान विधेयक, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

## 4. प्रतिक्रिया पर चर्चा

निर्धारित

समय  
उच्चन्ते

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का बार्षिक वित्तीय बिवरण वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 तथा निजी क्षेत्रों में सौंपी गई विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विद्युत क्रम अनुबन्ध (पी.पी.प.) दिनांक 11 नवम्बर, 1994 एवं दिनांक 27 मई, 1996 पर चर्चा।

## 5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक मकान के विषय पर चर्चा

उच्चन्ता  
उपमि.

प्रक्षेत्र में हीरे की उपलब्धता, उओक्सीन, उत्तराधन एवं विक्रय के संबंध में श्री विक्रम वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

## 6. नियम 142 के अधीन आवे उच्चन्ते की चर्चा

(1) दिनांक 22 जुलाई, 1997 के उपमुख्य मंत्री (जल संसाधन) से पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 663) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(2) दिनांक 16 जुलाई, 1997 के सहकारिता मंत्री से पूछे गये लारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 2) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मदन गोपाल सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

धोपाल :  
दिनांक 30 जुलाई, 1997

के.पी.लिवार्डी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा